



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042022-235334
CG-DL-E-23042022-235334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

फा. सं. 18-24/आईएनसपी/2022-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :—

चूंकि, ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा उपचर्या एवं दाई पंजीकरण परिषद् द्वारा गोपबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ग्राम माधबपुर, पोस्ट महाकालबस्ता, बरास्ते अठगढ़, कटक-754029, ओडिशा ("कॉलेज") को शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम और शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) तथा एम.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। कॉलेज में बी.एससी. (नर्सिंग), पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) तथा एम.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश क्षमता क्रमशः 40, 40 तथा 25 छात्रों के लिए थी।

और चूंकि, गोपबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रमों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आगे, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31.03.2021 को जारी पत्र के माध्यम से कुछ कमियां इंगित की गई थीं। हालांकि गोपबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन, कॉलेज आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और बताई गई कमियों को दूर करने में असफल रहा है।

और चूंकि, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक 01.09.2021 को गोपबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे इस बावत जवाब देना था कि भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

और चूंकि, ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा उपचर्या एवं दाई पंजीकरण परिषद् से भी इस बावत टिप्पणियां मांगी गई थीं। और चूंकि ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा उपचर्या एवं दाई पंजीकरण परिषद् से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

और चूंकि, कॉलेज द्वारा दिनांक **04.01.2022** को अपनी अनुपालन रिपोर्ट फिर से भेजी गई थी, जिस पर भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा विधिवत विचार किया गया था। आगे, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक **15.02.2022** को कॉलेज को एक पत्र जारी किया गया था। कॉलेज को फिर से मूल अस्पताल से संबंधित कमियों के साथ-साथ अन्य कमियों के बारे में सूचित किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया था, क्योंकि कॉलेज को **बी.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है इसलिए भारतीय उपचर्या परिषद् के विनियमों के अनुसार **पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)** और **एम.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, गोपबन्धु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च द्वारा **बी.एससी. (नर्सिंग)**, **पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)** और **एम.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम/योग्यता का संचालन करने की मान्यता अधिनियम की धारा 14(3)-बी के तहत शैक्षणिक सत्र 2018-2019 से वापस ली जाती है।

यह घोषित किया जाता है कि दिनांक **04.04.2022** से, गोपबन्धु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से कोई भी उपरोक्त मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ओडिशा राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल ओडिशा राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./40/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd April, 2022

F.No. 18-24/INSP/2022-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Odisha and Odisha Nurses and Midwives Registration Council had granted recognition to **Gopabandhu Institute of Medical Sciences and Research**, Village- Madhabpur, P.O.- Mahakalabasta, Via- Athgarh, Cuttack- 754029, Odisha (“College”) for running **B. Sc. (N)** course from the academic year 2018-2019 & **Post Basic B.Sc. (N), M.Sc.(N)** courses from the academic year 2020-2021. The College has an intake capacity of **40, 40 & 25** for **B.Sc. (N), Post Basic B.Sc. (N) & M.Sc. (N)** courses respectively.

And whereas, a proposal was received from the **Gopabandhu Institute of Medical Sciences and Research** for assessment of suitability of the aforesaid courses for the academic year 2018-19. That, certain deficiencies were pointed out by the Indian Nursing Council vide letter dated 31.03.2021 for **B.Sc. (N)** course. The **Gopabandhu Institute of Medical Sciences and Research** sent a compliance report. However, the college failed to provide necessary documents and rectify the deficiencies pointed out.

And whereas, a show cause notice dated **01.09.2021** was issued by the **Indian Nursing Council** requiring the **Gopabandhu Institute of Medical Sciences and Research** to respond as to why no action should be initiated under **Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947**.

And whereas, comments were also sought from the State Government of Odisha and the Odisha Nurses and Midwives Registration Council. That no comments have been received from State Government of Odisha and the Odisha Nurses and Midwives Registration Council.

And whereas, college had again sent its compliance report dated **04.01.2022** which was duly considered by the **Indian Nursing Council**. That letter dated **15.02.2022** was issued by the Indian Nursing Council to the college. The college was again informed about the deficiencies with respect to the parent hospital and other deficiencies. It was also informed that in terms of the regulations of the Indian Nursing Council, suitability of **P.B. B.Sc. (N)** and **M.Sc. (N)** courses cannot be assessed as the **B.Sc. (N)** has not been found to be suitable.

Hence, therefore, the recognition of **Gopabandhu Institute of Medical Sciences and Research** for conducting **B.Sc. (N), Post Basic B.Sc. (N) and M.Sc. (N)** courses/ qualifications is **hereby withdrawn from the academic session 2018-2019** in terms of Section 14 (3)-b of the Act.

It is declared that from **04.04.2022**, any person obtaining any of the aforesaid recognized qualification from **Gopabandhu Institute of Medical Sciences and Research** shall be entitled to be registered only in the state of Odisha subject to orders of the State government of the Odisha.

LT. COL (DR) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./40/2022-23]